न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.

---

रा.प्रा.पत्र संख्या 5/2018

प्रार्थीया — बनाम — अप्रार्थीगण

अशोककुमार पुत्र श्री मगनलालजी आयु 33 वर्ष जाति पुरोहित पेशा खेती निवासी मण्डवारिया तहसील सिरोही जिला सिरोही

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री प्रवीणकुमार छीपा
3– अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधि. वास्ते खातेदारी कृषि मे जाने हेतु मे वैकल्पिक रास्ता देने

---

निर्णय — दिनांक 16–3–2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधि. के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार ,सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 12–1–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही जिला सिरोही मे प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता नंबर नया 21 पुराना 17 खसरा नंबर 263 रकबा 2.4600 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 तथा खाता नंबर नया 20 पुराना 16 खसरा नंबर 310 रकबा 1.0100 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 व खसरा नंबर 313 रकबा 1.8900 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 आई हुई है। राजस्व ग्राम सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही मे अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम राजकीय बिलानाम खाता नंबर नया 01 खाता नंबर पुराना 01 खसरा नंबर 308 रकबा 0.9700 हेक्टेयर किस्म बारानी I, खसरा नंबर 309 रकबा 0.4400 हेक्टेयर किस्म बारानी I व खसरा नंबर 311 रकबा 0.2000 हेक्टेयर की कृषि भूमि कआई हुई है। उक्त खसरा नंबर 308 तक आने जाने हेतू खसरा नंबर 308 के दक्षिणी दिशा मे खसरा नंबर 1542/319 गै.मु. रास्ता मौके पर मौजूद है,जो राजस्व रेकर्ड मे भी अमल दरामद किया हुआ है। प्रार्थी को अपने स्वंय के खातेदारी कबजे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 263,310,व 313 मे आने जाने हेतू उक्त रेकर्डेड रास्ते से अप्रार्थी राजस्थान सरकार के राजकीय बिलानाम खसरा नंबर 308 व 309 मेसे संलग्न नजरी नक्शे मे

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

Continue Page No2

लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ते की भूमि का उपयोग व उपभोग कदीम से लगातार शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थी ट्रेक्टर इत्यादि स्वंय की खातेदारी की कृषि आराजी म`ले जाकर खेती/जोताई/एवं बुवाई का कार्य शुरू से करता चला आ रहा है तथा इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग आस पडौसियान की कृषि भूमि के खातेदार भी कदीम से शान्तिपूर्वक करते रहे है। उक्त रास्ते के आलामात मौके पर मौजूद है जो संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतू एक मात्र रास्ता अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज बिलानाम कृषि भूमि खसरा नंबर 308 व 309 मेसे होकर है। अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज बिलानाम कृषि भूमि खसरा नंबर 308 व 309 मे स्थित उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की उपरोक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतू अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी पर जाने हेतू अप्रार्थी राजस्थान सरकार के राजकीय बिलानाम कृषि भूमि खसरा नंबर 308 व 309 मे स्थित उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की उपरोक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतू अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी पर जाने हेतू अप्रार्थी राजस्थान सरकार के राजकीय बिलानाम कृषि भूमि खसरा नंबर 308 व 309 मेसे संलग्न नजरी नक्शे अनुसार चालीस फीट चौडे रास्ते की प्रथम दृष्टियॉ अतिआवश्यकता है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अर्न्तगत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर रकम जमा करवाने हेतू तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम बिलानाम दर्ज खाता संख्या नया 01 पुराना 01 खसरा संख्या 308 रकबा 0.9700 हेक्टेयर व खसरा नंबर 309 रकबा 0.4400 हेक्टेयर की कृषि भूमि मे संलग्न नजरी नक्शे अनुसार 40 फीट चौडा रास्ता बाद जॉच राजस्व रेकर्ड मे दर्ज एवं नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करना फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी मौजा सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही के खाता नंबर नया 20 पुराना 16 के खसरा नंबर 310 रकबा 1.0100 हेक्टेर किस्म नहरी 2 व खसरा नंबर 313 रकबा 1.8900 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 तथा जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर नया 21 पुराना 17 के खसरा नंबर 263 रकबा 2.4600 हेक्टेयर किस्म नहरी 2 नक्शा किश्तवार मौजा सिन्दरथ तथा मौजा सिन्दरथ पटवार हलका धान्ता तहसील सिरोही के जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के नया खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार के बिलानाम सरकार खाते के खसरा नंबर 308 रकबा 0.9700 हेक्टेयर किस्म बारानी I/खसरा नंबर 309 रकबा 0.4400 हेक्टेयर किस्म बारानी I तथा खसरा नंबर 311 रकबा 0.2000 हेक्टेयर किस्म बारानी I कुल किता 3 कुल रकबा 1.6100 हेक्टेयर तथा जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता नंबर 461 के खसरा नंबर 1513/319 रकबा 0.2250 हेक्टेयर किस्म बारानी I की

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

Continue Page No 3

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व संलग्न प्रार्थनापत्र मय उक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस व/जवाब तहसीलदार/सिरोही मय उक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर गंभीरता से मनन किया तथा वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने अपने खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ब किया है। तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे प्रार्थी के खातेदारी की उक्त कृषि आराजी से लगता किसी भी प्रकार का रेकर्डेड रास्ता नही होने से तहसीलदार/सिरोही द्वारा प्रस्तावित रास्ते की आराजी का प्रार्थी को रास्ता नियमानुसार सशुल्क दिये जाने पर सहमति जाहिर की है। अतः अप्रार्थी तहसीलदार/सिरोही के बिलानाम सरकार के खातेदारी की कृषि भूमि मेसे होकर रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आवश्यकता होने से प्रार्थी द्वारा मांगी गई जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर तहसीलदार/सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार/सिरोही के प्रस्तावानुसार

| क्र.सं. | नाम खातेदार | खसरा नंबर | कुल रकबा | प्रस्तावित रास्ता मीटर मे ( लंबाई चौडाई ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बिलानाम सरकार | 308 | 0.9700 हेक्टेयर | 12 X 35 मीटर = 420 वर्गमीटर |
| | | 311 | 0.2000 हेक्टेयर | 12 X 17 मीटर = 204 वर्गमीटर |

संलग्न नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है को वर्तमान जमाबंदी की खातेदारी मेसे कम की जाकर सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। उक्त स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार/सिरोही को आदेश दिये जाते है :-

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2)के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या

(ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

Continue Page No 5

अतः उक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क/आर.टी.एक्ट का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावानुसार मौजा सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही जिला सिरोही के खसरा नंबर 308 रकबा 0.9700 हेक्टेयर बिलानाम सरकार मेसे 12 मीटर चौडा व 35 मीटर लम्बा कुल 420 वर्गमीटर अर्थात 0.0420 हेक्टेयर भूमि व खसरा नंबर 311 बिलानाम सरकार मेसे 12 मीटर (40 फीट) चौडा व 17 मीटर लम्बा कुल रकबा 204 वर्गमीटर अर्थात 0.0204 हेक्टेयर भूमि को वर्तमान जमाबंदी की खातेदारी मेसे कम की जाकर सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। उक्त स्वीकृत की गई रास्ते की भूमि के प्रतिकर की किमत नियमानुसार अवधारित की जाकर प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित कृषि भूमि के खातेदार श्री सरकार भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) को उपरोक्त राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार/सिरोही को उक्त रास्ते स्वीकृत भूमि श्री सरकार के बिलानाम खाते मेसे कम नही होगी बल्कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता श्री सरकार बिलानाम के खाते मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे मे अंकित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश तहसीलदार/सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को दिये जाते है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

16/3/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 16–3–2018 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)

सिरोही